

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मो० इब्रार आलम मा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

—सह—

उप निदेशक/सहायक निदेशक/

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,

अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय,

अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर,
भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज,
जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, कैमूर, कटिहार,
लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा,
नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा,
सारण, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, वैशाली एवं पश्चिम
चम्पारण।

पटना, दिनांक :

विषय : विभिन्न जिलों में संचालित अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों के विद्युत विपन्न के भुगतान हेतु विद्युत मद से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु कुल ₹56,75,000/- (छप्पन लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) के उपावंटन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य के सभी जिला में संचालित अल्पसंख्यक छात्रावास एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय निर्माण की योजना ली गई है। अधिकांश जिलों में छात्रावास एवं कार्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वह संचालित भी है। जिलों में संचालित छात्रावासों एवं कार्यालयों के लिए विद्युत मद से वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु कुल ₹56,75,000/- (छप्पन लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) निम्न विवरणी के अनुसार उपावंटित की जाती है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	उपावंटित राशि
1	अररिया	0.50 लाख
2	अरवल	0.25 लाख
3	औरंगाबाद	1.00 लाख
4	बांका	0.50 लाख
5	बेगूसराय	1.00 लाख
6	भागलपुर (02)	4.00 लाख
7	भोजपुर	1.50 लाख
8	बक्सर	0.25 लाख
9	दरभंगा (02)	4.00 लाख
10	पूर्वी चम्पारण (02)	4.00 लाख
11	गया (02)	4.00 लाख
12	गोपालगंज	1.00 लाख

13	जमुई	0.50 लाख
14	जहानाबाद	1.00 लाख
15	खगड़िया	1.00 लाख
16	किशनगंज	0.50 लाख
17	कैमूर	1.50 लाख
18	कटिहार (02)	4.00 लाख
19	लखीसराय	0.25 लाख
20	मधुबनी	1.50 लाख
21	मुंगेर	1.00 लाख
22	मधेपुरा	1.00 लाख
23	मुजफ्फपुर	2.00 लाख
24	नालंदा	1.50 लाख
25	नवादा	1.00 लाख
26	पटना (06)	9.00 लाख
27	पूर्णियाँ	0.25 लाख
28	रोहतास	1.50 लाख
29	सहरसा	1.50 लाख
30	समस्तीपुर	0.25 लाख
31	शेखपुरा	1.00 लाख
32	सारण	1.00 लाख
33	सीतामढ़ी	0.25 लाख
34	सुपौल	1.00 लाख
35	सिवान	1.00 लाख
36	वैशाली	1.00 लाख
37	पश्चिम चम्पारण	0.25 लाख
	कुल योग	56.75 लाख

- उपर्युक्त उपावंटित राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बजट मुख्य शीर्ष 2053 जिला प्रशासन उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष 094-अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष 0010- अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय विपत्र कोड 30-2053000940010 विस्तृत शीर्ष-13-कार्यालय व्यय विषय शीर्ष-04 विद्युत प्रभार मांग संख्या-30 के अन्तर्गत उपबन्धित राशि से विकलनीय होगा।
- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि० दिनांक- 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- स्वीकृत्यादेश में वर्णित आवंटन पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त है।
- उपावंटित राशि के व्यय से संबंधित लेखा विधिवत् संधारित किया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र व्यय होने के पश्चात् भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- इस राशि की निकासी हेतु CIMS से आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजनान्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक-4989/वि० (2) दिनांक-16.05.2013 की सभी कड़िकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में अपेक्षित होगा।

9. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन किया जायेगा।
10. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अधीन निहित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य होगा।
11. इस राशि का विचलन अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
12. जिस कार्य हेतु राशि उपावंटित है, उसी कार्य में राशि का व्यय किया जायेगा।
13. वित्त विभाग, बिहार, पटना के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक- अ0स0क0-01-04/2015 (खण्ड-क) पटना, दिनांक-

ई-मेल

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- अ0स0क0-01-04/2015 (खण्ड-क) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- अ0स0क0-01-04/2015 (खण्ड-क) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अपर सचिव (बजट), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- अ0स0क0-01-04/2015 (खण्ड-क) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री अशोक कुमार, अपर सचिव, CFMS Approver, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि CFMS के माध्यम से बजट राशि उपवांटन के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाय।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- अ0स0क0-01-04/2015 (खण्ड-क) 15 पटना, दिनांक- 16.04.2025

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव